फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री हेमेन्द्र सिंह पिता श्री मिटठन सिंह C/o सोहनलाल जी मांडोत की दुकान के उपर, सदर बाजार, राजनगर, जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 29/2022**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.05.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/422–423 दिनांक 18 अप्रेल, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय भू–अभिलेख अनुभाग तथा तहसीलदार कार्यालय राजसमंद से संबंधित होने से सूचना चाही गई । प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग तथा तहसीलदार कार्यालय, राजसमंद को जरिये पत्रांकः 206–209 दिनांक 15.02.2022 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी भू.अ. अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांकः 4247 दिनांक 23.02.2022 से बिन्दु संख्या 3 के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध पत्रावली के आधार पर प्रतिलिपियॉ तैयार कर दी गयी है प्रतिलिपि हेतु 20 रूपये प्रतिलिपि शुल्क जमा करा भू–अभिलेख अनुभाग से प्राप्त करे। तहसीलदार राजसमंद द्वारा जरिये पृष्ठाकंन पत्रांकः आर.टी.आई./21/260–261 अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना भू.अ. शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त सूचना के संदर्भ में तैयार जवाब पत्रांकः भू.अ./2022/382 दिनांक 16.03.2022 संलग्न पत्र डाक द्वारा भिजवाई जाने का उल्लेख किया है।	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी श्री हेमेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी से नगर के बीच बहने वाली नदी के संदर्भ में सूचना का अधिकार, 2005 आवेदन पत्र मय पोस्टल आर्डर 03 बिन्दुओं पर सूचना मांगी जो नहीं दी गई, प्रथम अपील की जाने के उपरांत लोक सूचना अधिकारी द्वारा अंतरित सूचना पत्र मात्र जवाब दिया गया वो सूचनाए भी गलत दिनांक (Back date) का उपयोग करते जवाबी पत्र साधारण डाक द्वारा 3–3 महीने बाद दिया जा रहा है। डाक लिफाफे पर सील नहीं लगाई जा रही है। अपीलार्थी द्वारा विधिवत सूचनाएं राजहित लोकहित के लिये अति आवश्यक बताते हुए सूचना दिलाने हेतु न्यायालय को अनुरोध किया है।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, प्रभारी अधिकारी, भू.अ. अनुभाग, कलेक्ट्रेट राजसमन्द व तहसीलदार, राजसमंद एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। भू.अ. अनुभाग कलेक्ट्रेट, राजसमंद, तहसीलदार, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध करवाई गई सूचना से अपीलार्थी के असंतुष्ट होने से प्रभारी अधिकारी, भू.अ. अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द एवं तहसीलदार, राजसमंद को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में अपने कार्यालय में आमंत्रित कर अभिलेख का अवलोकन करा आर.टी.आई. आवेदन के अनुसार नियमानुसार सूचना अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावे। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद व प्रभारी अधिकारी, भू.अ. अनुभाग कलेक्ट्रेट राजसमन्द एवं तहसीलदार, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद